



31/07/25 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त
व्यक्ति हेतु उत्तर चाहा जो दिया
गया। फावली दि. 04/09/25 को
पेश हो।



31/07/25

04/09/25 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त
व्यक्ति सुनी गई। फावली वाले मामले
प्रत्यक्ष धारा-212 R.T. Act दि. 25/9/25
को पेश हो।


04/09/25

25/9/25 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त/
व्यक्ति हेतु उत्तर पत्र 212 RT Act सुनी।
हेतुगत कारण के अन्तर्गत मामले दिनांक
13/4/25 को की गई विवेचन के अनुसार
ग्राम समित्या की वादग्रस्त भारतीय की
नामसल्लामुमवास राज्य रिक्त एवं सीके की
अध्याक्षिका वनापे रखने के मामले दिने
पत्र है। फावली पैसलशुमार होकर
नाम्बर से पत्र होकर मुमवास
साथ सलाम हो।




उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय बिकानेर (राज.)